संख्या-42/2025/I/890591/2025/71-1002/69/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 25 फरवरी, 2025**

विषय:- केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु केन्द्रांश एंव राज्यांश की धनराशि एस0एन0ए0 खाते में हस्तांरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2024-25/508, दिनांक 23.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु केन्द्रांश के रूप में रू0 2.00 करोड़ की धनराशि एस0एन0ए0 में हस्तांरित किया जाना है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जेड-16015/2/2023-एन, दिनांक 28.04.2023 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना "Establishment of new medical colleges attached with existing District/Referral hospitals" के अंतर्गत उ0प्र0 प्रदेश के 27 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में "Scheme for Augmenting Nursing Education-Establishment of new College of Nursing (CoN) in co-location with Medical College" के अंतर्गत नर्सिंग कालेज की स्थापना का निर्णय लिया गया। उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रति नर्सिंग कालेज की लागत रू0 10.00 करोड़ निर्धारित की गयी है, जिसका फण्डिग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश+राज्यांश) है। उप निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्याजेड.-28015/89/2023-एन, दिनांक 21.08.2023 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत 27 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत रू0 10.00 करोड़ के सापेक्ष प्रति (प्रति कालेज) कालेज रू0 2.00 करोड़ अर्थात् कुल रू0 54.00 करोड़ की धनराशि केन्द्रांश के रूप में उपलब्ध करायी गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बुलन्दशहर में नर्सिंग कालेज की स्थापना** हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत् पूँजीपक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105-01-28-राजकीय मेडिकल कालेज/स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के.) के मानक मद 24- वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित में से **रू0 200.00 लाख (केन्द्रांश)** तथा लेखाशीर्षक 4210-03-105-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-28 राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि में से **रू0 133.3333 लाख (राज्यांश)**, इस प्रकार कुल रू0 333.3333 लाख **(रू0 तीन करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तीस मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश एंव राज्यांश की धनराशि को शासन द्वारा अग्रिम आदेशों के उपरांत ही व्यय की जायेगी।
4. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने व्यय (1) रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 लेखाशीर्षक 4210-03-105-01-28-राजकीय मेडिकल कालेज/स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के.) के मानक मद 24- वहृत निर्माण कार्य (*2*) रुपये 1,33,33,330 (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058928 राजकीय मेडिकल कालेज/स्वायत्त शासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज के मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- उत्पन्न संख् यह आदेश कंप्यूटर द्वाराया ई-3-358/दस-2024-25, दिनांक 11 फरवरी, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर।
4. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर।
5. उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।